

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
संकल्प

नि.बै.-01/10/2026 SEC 6 RCS557062

विषय :- रैयाम (दरभंगा) एवं सकरी (मधुबनी) में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नयी सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद (byproducts) आधारित अन्य इकाईयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लि. (IPL), नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

1. राज्य सरकार के सात निश्चय-3 (2025-2030) के अंतर्गत “समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार” के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित ‘उच्च स्तरीय समिति’ द्वारा रैयाम (दरभंगा) एवं सकरी (मधुबनी) में बंद चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि. (NFCSE), नई दिल्ली द्वारा रैयाम (दरभंगा) एवं सकरी (मधुबनी) में बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों की भूमि पर सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के प्रयोजन से समर्पित गन्ना संभाव्यता प्रतिवेदन (Cane Feasibility Report) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार रैयाम में उपलब्ध 68 एकड़ भूमि पर तत्काल एक चीनी मिल (3500 टी.सी.डी. क्षमता का जिसका 5000 टी.सी.डी. तक क्षमता विस्तार हो सकेगा), 14 MW क्षमता की सह-विद्युत उत्पादन इकाई, 35 KLPD क्षमता की इथेनॉल डिस्टिलरी इकाई एवं 9.5 TPD क्षमता का कम्प्रेसड बायोगैस (CBG) इकाईयों की स्थापना की जा सकती है। इसी प्रकार सकरी में उपलब्ध 30 एकड़ भूमि पर तत्काल एक चीनी मिल (3500 TCD क्षमता का जिसका क्षमता विस्तार 5000 TCD तक हो सकेगा) के साथ 14 MW क्षमता की सह-विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित हो सकती है। साथ ही, उक्त दोनों स्थलों पर

12

पूर्ण चीनी कॉम्पलेक्स की स्थापना हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का परामर्श दिया गया है।

रैयाम तथा सकरी में चीनी मिल की स्थापना हेतु समर्पित DPR के अनुसार 3500 TCD चीनी मिल तथा सह-विद्युत उत्पादन इकाई हेतु कुल लागत राशि 347.76 करोड़ रुपये एवं डिस्टीलरी तथा सी.बी.जी. इकाई हेतु कुल लागत 156.91 करोड़ रुपये है। इस प्रकार रैयाम चीनी कॉम्पलेक्स की स्थापना हेतु DPR के अनुसार कुल लागत राशि 504.67 करोड़ रुपये एवं सकरी में चीनी मिल तथा सह-विद्युत इकाई की स्थापना हेतु कुल लागत राशि 347.76 करोड़ रुपये है।

2. रैयाम एवं सकरी में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के दृष्टिकोण से गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के द्वारा चीनी मिलों के लिए अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र (Command Area) के अंतर्गत गन्ना उत्पादक तथा गन्ना उत्पादन हेतु प्रतिबद्ध, इच्छुक एवं पात्र किसानों को शामिल कर “रैयाम प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति लि.” एवं “सकरी प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति लि.” को बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 के अंतर्गत निबंधित करने हेतु गठन का कार्य अंतिम चरण में है।

प्रस्तावित चीनी मिल सहकारी समितियों का उद्देश्य गन्ना उत्पादक किसानों को संगठित कर चीनी उद्योग के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही, उक्त समिति सदस्य किसानों के लिए गन्ना उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि आदान, आधुनिक कृषि संयंत्र, तकनीकी परामर्श, कृषि ऋण आदि की उपलब्धता तथा संबंधित चीनी मिल को गन्ना की आपूर्ति हेतु भी कार्य करेगी।

3. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंडियन पोटाश लि. (IPL), नई दिल्ली को बिहार सहित अन्य राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों के पुनरोद्धार हेतु दिए गए कार्य को संदर्भित करते हुए बिहार राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरोद्धार हेतु उक्त कंपनी के साथ कार्य करने का अनुरोध किया गया है।

इंडियन पोटाश लिमिटेड के 70% शेयर सहकारी प्रक्षेत्र के तथा 20% शेयर सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। इसे विभिन्न चीनी मिलों जिसमें कई

सहकारी चीनी मिल भी शामिल हैं, के लाभप्रद संचालन का अनुभव है। साथ ही, बहुराज्यीय सहकारी समिति के मुख्य प्रवर्तक (Chief Promoter) के रूप में IPL सहकारी चीनी मिलों के सतत विकास (growth) तथा लंबी अवधि तक वित्तीय व्यवहार्यता (viability) हेतु बड़ी भूमिका के निर्वहन में सहायक होगा। अतः रैयाम तथा सकरी में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना एवं परिचालन हेतु इंडियन पोटाश लिमिटेड एक बेहतर विकल्प है।

4. रैयाम एवं सकरी चीनी कॉम्पलेक्स की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि. (NFCSE) द्वारा तैयार किए गए DPR के आलोक में IPL से प्राप्त प्रस्ताव एवं वार्ता तथा पत्राचार के उपरान्त IPL से प्रस्ताव के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :-

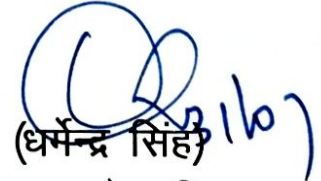
- (क) रैयाम (दरभंगा) में बंद चीनी मिल की भूमि पर चीनी मिल, सह-विद्युत उत्पादन, इथेनॉल डिस्टिलरी एवं कम्प्रेसड बायोगैस (CBG) इकाईयों तथा सकरी (मधुबनी) में बंद चीनी मिल की भूमि पर चीनी मिल एवं सह-विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना एवं परिचालन इंडियन पोटाश लि. (IPL), नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा।
- (ख) राज्य सरकार द्वारा रैयाम तथा सकरी में बंद चीनी मिल की उपलब्ध क्रमशः 68 एकड़ (लगभग) तथा 30 एकड़ (लगभग) भूमि IPL को एक रुपये के टोकन राशि पर 30 वर्षों की लीज पर हस्तान्तरित की जाएगी। उक्त लीज अवधि का विस्तार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति के अनुरूप किया जायेगा।
- (ग) IPL को बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत विस्तृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रयोजन हेतु गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2026 के अंतर्गत विभिन्न अवयवों के तहत निर्धारित वित्तीय सीमा को शिथिल किया जा सकेगा।
- (घ) IPL द्वारा चीनी मिल की स्थापना के क्रम में किये गये वित्तीय निवेश के समानुपातिक गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति के

अंतर्गत पूंजी अनुदान मद में अनुमान्य वित्तीय सहायता का भुगतान 05 अर्द्धवार्षिक किरस्तों में किया जा सकेगा। अन्य मदों में अनुमान्य लाभ दावा के आधार पर सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जा सकेगा।

- (ड.) राज्य सरकार, चीनी मिल के स्तर पर गठित होने वाले प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति लि. एवं IPL के बीच भूमि सहित अन्य सभी संव्यवहारों का निर्धारण सहकारिता विभाग के द्वारा किया जायेगा।
- (च) सहकारिता विभाग, बिहार रैयाम एवं सकरी सहकारी चीनी मिल का प्रशासी विभाग होगा।
5. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.07.2026 में मद सं०-22 के रूप में (संचिका नि.बै.-01/10/2026 SEC 6 RCS 557062, पृ०-32/56/टि.) स्वीकृति प्रदान की गयी है।
6. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,


(धर्मेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 7981. / पटना, दिनांक 31.07.2026

नि.बै.-01/10/2026 SEC 6 RCS 557062

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना।




सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 7981. / पटना, दिनांक 31.07.2026

नि.बै.-01/10/2026 SEC 6 RCS 557062

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 7981. / पटना, दिनांक 31.07.2026

नि.बै.-01/10/2026 SEC 6 RCS 557062

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग के निजी सहायक/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक (अंके. सहित), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना/ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 7981. / पटना, दिनांक 31.07.2026

नि.बै.-01/10/2026 SEC 6 RCS 557062

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना/उप सचिव (ई-गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कृपा करेंगे/ आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।